

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष- सतीश कुमार गुप्ता)

आप0 पुन0 याचिका क्र.-08/18

प्रस्तुति दिनांक-21/03/2018

1. जशरथ सिंह पुत्र बहादुर सिंह नरवरिया जाति
लोधी निवासी ग्राम मदनपुरा पर0 गोहद जिला
भिण्ड (म0प्र0)

---निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

1. राजकिशोर शर्मा पुत्र वासुदेव प्रसाद शर्मा, आयु
56 साल निवासी ग्राम मेंहदोली परगना मेहगांव
जिला भिण्ड, (म0प्र0)

2. थाना प्रभारी पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड
(म0प्र0)

---प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानीकर्ता की ओर से – श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

प्रति निगरानीकर्ता क्रमांक 01 की ओर से – श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

प्रति निगरानीकर्ता क्रमांक 02 की ओर से – श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक
अभियोजक।

// आदेश //

(आज दिनांक 28.03.2018 को पारित)

01. निगरानीकर्ता की ओर से धारा 397 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका, न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 8/2018/145 जा0फौ0 (थाना प्रभारी गोहद विरुद्ध दशरथ सिंह आदि) में धारा 146 दं0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत पारित अंतरिम आदेश दिनांकित 15.03.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार ग्राम श्यामपुरा परगना गोहद स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 13 रकवा 0.58 हेक्टेयर पर बोई गई फसल (अत्र पश्चात केवल विवादित भूमि/विवादित फसल) को कुर्क कर राजस्व निरीक्षक वृत्त गोहद को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु कुर्की वारंट जारी किया गया है।

02. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा श्यामपुरा परगना गोहद स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 13 रकवा 0.58 का निगरानीकर्ता रिकॉर्डेड भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर निरंतर फसल लाभरत है। प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 01 राजकिशोर शर्मा का उपरोक्त विवादित भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 01 ने निगरानीकर्ता को धोखा देकर शराब पिलाकर अवैधानिक रूप से षडयंत्र करके निगरानीकर्ता की जानकारी के बिना फर्जी विक्रय पत्र बिना प्रतिफल दिये संपादित करा लिया है तथा उसने एक दीवानी दावा निगरानीकर्ता के विरुद्ध न्यायालय द्वितीय सिविल जज वर्ग-2 गोहद के समक्ष संचालित किया है, जो प्रकरण क्रमांक 64/16 राजकिशोर सिंह बनाम दशरथ सिंह के नाम से संचालित है और उसमें निगरानीकर्ता द्वारा भी प्रतिदावा पेश किया गया है।

03. निगरानीकर्ता का अपनी याचिका में आगे कहना है कि उपरोक्त दीवानी प्रकरण में प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 ने उपरोक्त विवादित भूमि पर खड़ी फसल को सुपुर्दगी पर दिये जाने बावत् प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 02 से षडयंत्र रचकर धारा 145 जा0फौ0 का इस्तगशा पेश कराया है, जिसकी सूचना निगरानीकर्ता को होने पर दिनांक 15.03.2018 को अपने अभिभाषक के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर

वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा जबाव हेतु समय मांगा तो प्रार्थी को जबाव हेतु कोई समय न दिया जाकर एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं देते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी अधिकारिता के अवैधानिक रूप से आदेश पारित कर दिया गया है और खड़ी फसल को कुर्क कर सुपुर्दगी पर दिये जाने का विधि विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, जिससे दुःखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है, क्योंकि उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि संगत न होकर बिल्कुल स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.03.2018 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

04. प्रतिनिगरानीकर्तागण की ओर से मामले में निगरानी का विरोध करते हुये एवं आलोच्य आदेश दिनांकित 15.03.2018 को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप दर्शाते हुए निगरानीकर्ता की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

05. निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण किये गये एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 8/2018/145 जा0फौ0 (थाना प्रभारी गोहद विरुद्ध दशरथ सिंह आदि) के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

06. **प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न है:-**

| | |
|-----|--|
| 01. | क्या योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 ने प्रकरण क्र0 8/2018/145 (जशरथ सिंह विरुद्ध राजकिशोर आदि) में आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 15.03.2018 को पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है ? |
|-----|--|

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

07. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक जोर दिया है कि विवादित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय के समक्ष मामला लम्बित होने के बावजूद तथा निगरानीकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना उक्त भूमि पर खड़ी फसल का कुर्क कर सुपुर्दगी में देने के संबंध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद ने प्रकरण क्रमांक 8/2018/145 (जशरथ सिंह विरुद्ध राजकिशोर आदि) में अवैध रूप से आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांकित 15.03.2018 को बिना किसी अधिकारिता के पारित किया गया है, जबकि प्रतिनिगरानीकर्तागण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण का कहना है कि आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्य के अनुरूप होने से उक्त याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

08. उक्त संबंध में उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये इस निगरानी प्रकरण सहित अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 के प्र0क्र0 8/2018/145 (जशरथ सिंह विरुद्ध राजकिशोर आदि) के संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने पर पाया जाता है कि पुलिस थाना गोहद की ओर से दिनांक 12.03.18 को धारा 145 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत इस्तगासा क्रमांक 6/18 निगरानीकर्ता जसरथ सिंह व प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 राजकिशोर के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने पर पेशी दिनांक संभवतः 26.03.18 के लिये निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 के विरुद्ध धारा 145 -1 दं0प्र0सं0 का नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रचलित किये जाने के पश्चात नियत पेशी दिनांक में 15.03.18 के रूप में सुधार करते हुये दिनांक 15.03.18 को पार्टी क्रमांक 2 की उपस्थिति एवं पार्टी क्रमांक 1 की अनुपस्थिति डालते हुये पार्टी क्रमांक 2 द्वारा फसल काटकर पार्टी क्रमांक 1 द्वारा ले जाये जाने को लेकर विवाद की स्थिति की आशंका जताई जाने के कारण धारा 146 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत फसल कुर्क की जाकर राजस्व निरीक्षक को सुपुर्दगी में दिये जाने

का आदेश देते हुये प्रकरण को जवाब हेतु नियत किया गया है और तत्पश्चात उक्त दिनांक को पुनश्च में उभयपक्ष को उपस्थित होना लेख किया गया है, जबकि आदेश पत्रिका में पश्चात के समय उभयपक्ष की उपस्थिति बावत न तो पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं और न ही उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर हैं।

09. इसी प्रकार आदेश पत्रिका दिनांक 15.03.18 में पूर्व के समय हुई सुनवाई में पार्टी क्रमांक 2 उपस्थित होना एवं पार्टी क्रमांक 1 उपस्थित नहीं होना लेख किया गया है, जबकि उक्त सुनवाई के समय आदेश पत्रिका के हांसिये में उक्त दोनों पार्टी अर्थात् निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता के हस्ताक्षर हैं। अतः आदेश पत्रिका दिनांक 12.03.18 एवं 15.03.18 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा सतही तौर पर कार्यवाही करते हुये अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना तथा अनियमित ढंग से कार्यवाही करते हुये आलोच्य अंतरिम आदेश पारित किया गया है और उक्त अंतरिम आदेश पारित किये जाने के पूर्व धारा 145 (1) दं0प्र0सं0 में उपबंधित आदेशात्मक विधिक प्रावधानों के पालन में आलोच्य कुर्की आदेश के पूर्व कोई प्रारंभिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जबकि सम्मानीय न्यायदृष्टांत **कमल देई बनाम रामशरण 2009(2) काइम्स 36 जम्मू कश्मीर** में यह महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि धारा 145 के आज्ञापक अनुसरण में बिना प्रारंभिक आदेश विरचित किये यदि कुर्की का आदेश पारित किया जाता है तो वह विधिक कार्यवाही की श्रेणी में नहीं आयेगा।

10. आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र शांति भंग की आशंका जताये जाने के आधार पर निगरानीकर्ता के विरुद्ध उसे सम्यक सुनवाई का अवसर दिये बिना जल्दीबाजी में धारा 146 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विवादित फसल कुर्क की जाकर राजस्व निरीक्षक को सुपुर्दगी में दिये जाने बावत आदेश पारित किया गया है एवं उक्त आदेश के अवलोकन से ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं होता है कि आदेश जारी

करने के समय आपातकालीन अर्थात् अति आवश्यक प्रकृति की परिस्थितियों विद्यमान थीं, जबकि सम्मानीय न्यायदृष्टांत अशोक कुमार विरुद्ध उत्तराखंड राज्य एवं अन्य 2013(2) एम.पी.एच.टी. (सु.को.) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि मात्र आपात स्थिति व शांति भंग होने की स्थितियों में अंतर है। मात्र शांति भंग होने के प्रकरण को आपात स्थिति के प्रकरण से भिन्न समझा जाना चाहिये। साथ ही निगरानीकर्ता पक्ष को सुनवाई का सम्यक अवसर नहीं दिये जाने से आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

11. उपरोक्त के अलावा अभिलेख के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य विवादित भूमि के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष स्वत्व व आधिपत्य की घोषणा सहित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता के लिये विवाद पूर्व से लम्बित होने तथा उक्त सिविल प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रक्रम पर सुनवाई हेतु उभयपक्ष द्वारा समय चाहते हुये नियत होने के बावजूद योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 146 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आलोच्य फसल कुर्की बावत् आदेश प्रदान किया गया है, जबकि सम्मानीय न्याय दृष्टांत महंतराम शरनदास विरुद्ध हरीश मोहन (2001)10 एस.सी.सी. 758 में यह महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि जहां हक की घोषणा से संबंधित विवाद सिविल न्यायालय में लम्बित हो वहां मामले में कोई भी उचित राहत सिविल कोर्ट ही दे सकता है और मजिस्ट्रेट को धारा 145 के अधीन याचिका स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं होती है। सम्मानीय न्यायदृष्टांत धनम सिंह विरुद्ध दलीप सिंह 2009(1) काइम्स 131 पंजाब, हरियाणा में भी यह ठहराया जा चुका है कि जब सिविल वाद न्यायालय के समक्ष लम्बित हो, तब धारा 145 के अधीन मजिस्ट्रेट को कार्यवाही आरंभ नहीं करनी चाहिये। अमरेश तिवारी विरुद्ध लालताप्रसाद 2000(4) सुप्रीम 665 सु.को. में भी सिविल कार्यवाही समान संपत्ति के संबंध में समान पक्षकारों के

मध्य थी, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 145 की कार्यवाही को बंद किया जाना उचित माना गया।

12. सम्मानीय न्यायदृष्टांत राम सुमेर पुरी महंत विरुद्ध उ0प्र0 राज्य 1985 कि.लॉ.ज. 752 सु.को. में भी यह महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि जहां कि आधिपत्य के लिये अथवा स्वत्व ँ षणा के लिये सिविल वाद हो और यह समान संपत्ति के संबंध में हो और जहां कि संपत्ति के संरक्षण के संबंध में सिविल न्यायालय के द्वारा अनुतोष दिया जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में द्र0प्र0सं0 की धारा 145 की कार्यवाही को जारी रखना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। इसका कारण यह बताया गया कि सिविल न्यायालय स्वत्व व आधिपत्य के प्रश्न को निराकृत करने के लिये सक्षम होता है व सिविल न्यायालय का निर्णय मजिस्ट्रेट पर आबद्धकारी होता है।

13. इसी प्रकार सम्मानीय न्याय दृष्टांत दयाराम विरुद्ध प्रवीण 1999(1) म0प्र0 वीकली नोट 56 म0प्र0 में भी चूंकि सिविल वाद लंबित था इसलिये संहिता की धारा 145 के तहत कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं मानी गई। ऐसी स्थिति में कुर्की को जारी रखने को अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है और कुर्की संबंधी आदेश को दोषपूर्ण मानते हुये मामले में निर्देश दिये गये कि—1. पक्षकारगण सिविल न्यायालय में आधिपत्य के संबंध में अथवा संपत्ति के संबंध में रिसीवर नियुक्ति के लिये पहुंच करेंगे, 2. सिविल न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अधधीन कुर्की होगी 3. पक्षकारगण सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और समुचित अनुतोष के लिये प्रार्थना करेंगे।

14. अतः उपरोक्तानुसार प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांतों के प्रकाश में योग्य अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद ने प्रकरण क्र0 08/2018X145 जा0फौ0 (थाना प्रभारी गोहद विरुद्ध दशरथ सिंह आदि) में आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 15.03.

2018 को पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है और कदापि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

15. परिणामतः उपरोक्तानुसार निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों के आलोक में निगरानीकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका उचित होने से स्वीकार कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांकित 15.03.2018 एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

16. आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर पारित किया गया

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

न्याय जानकारी हेतु
विधिक उपर